2 गाडरवारा में निजी स्कूलों की बढ़ती मनमानी

5 जनसरोकार और सक्रिय राजनीति का चेहरा

6 परिवर्तन का वाहक बनेगा क्वांटम

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 17 अंक : 09 प्रति सोमवार, 13 जुलाई 2026 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ :

केवल एक क्विंटल बीस किलो प्रति एकड़ मूंग खरीद रही मप्र सरकार

केन्द्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम मोहन यादव के खिलाफ किसानों का फूटा आक्रोश

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

मध्यप्रदेश के किसानों की मुसीबतें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। पहले गेंहू को बेचने में किसानों ने परेशानी झेली अब मूंग को लेकर भी वहीं स्थिति बन रही है। मूंग बेचने पर तो दोहरी मार पड़ने वाली है। क्योंकि मप्र सरकार ने फैसला किया है कि वह केवल प्रति एकड़ एक क्विंटल बीस किलो ही मूंग खरीद सकेगी। जबकि प्रति एकड़ मूंग 7-8 प्रति क्विंटल पैदा हुई है। ऐसी स्थिति में बाकी की मूंग को किसान कहां बेचेगा। स्वाभाविक है मजबूरन बाजार में व्यापारियों को मूंग बेचने पर मजबूर होगा। जबकि मूंग का सरकारी समर्थन मूल्य 8800 रूपये प्रति क्विंटल है। सरकार के इस फैसले से पूरे प्रदेश में केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम डॉ. मोहन यादव के खिलाफ किसानों का आक्रोश फूटा पड़ा है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के साथ मिलकर किसान सड़कों पर उतर आये हैं। किसानों के धरने, प्रदर्शन

ने मोहन सरकार को सकते में डाल दिया है। मध्यप्रदेश सरकार ने ग्रीष्म मूंग का उत्पादन लगभग 20 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया है और इस बार बरसात में देरी के कारण पैदावार भी अच्छी हुई है। अब जब पैदावार बेहतर हुई है तो खरीदने में सरकार की सांसें फूल रही हैं। दूसरी तरफ मोहन सरकार 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। अब किसान सवाल कर रहे हैं कि यह कैसा कृषि कल्याण वर्ष है।

शिवराज और मोहन यादव की कथनी और करनी में अंतर

जब प्रदेश में मूंग की फसल खेतों में तैयार हो रही थी तब केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव मंचों से घोषणा करते थकते नहीं थे कि किसानों की मेहनत बर्बाद नहीं होने देंगे और मूंग को समर्थन मूल्य पर ही खरीदेंगे। हालांकि यहां पर इन्होंने चालाकी जरूर दिखाई कि यह नहीं बताया कि कितनी मात्रा में खरीदेंगे लेकिन किसान को लगा कि सरकार पूरी मात्रा में ही मूंग की खरीदी करेगी। यही कारण है कि किसानों का गुस्सा अब सातवें आसमान पर पहुंच गया है। (शेष पेज 2 पर)

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में स्मार्ट पंजीयन मॉडल बना सुशासन, पारदर्शिता और डिजिटल प्रशासन की नई पहचान

-विजया पाठक

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सुशासन और डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में पंजीयन विभाग में व्यापक सुधार लागू करते हुए नागरिक सेवाओं को तेज, पारदर्शी और तकनीक आधारित स्वरूप प्रदान किया है। "रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म" की कार्य संस्कृति को धरातल पर उतारते हुए सरकार ने पारंपरिक और जटिल पंजीयन व्यवस्था को आधुनिक स्मार्ट पंजीयन मॉडल में बदलने का

अभियान शुरू किया है, जिसका लाभ अब आम नागरिकों को सीधे तौर पर मिलने लगा है। एक समय था जब संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों को घंटों कार्यालयों में इंतजार करना पड़ता था। दस्तावेजों के सत्यापन, विभिन्न औपचारिकताओं और लंबी कतारों के कारण कई बार एक रजिस्ट्री पूरी करने में एक से दो दिन तक का समय लग जाता था। अब वही प्रक्रिया अत्याधुनिक डिजिटल तकनीक की सहायता से मात्र 15 से 20 मिनट में पूरी हो रही है। इससे नागरिकों के समय की बचत के साथ-साथ अनावश्यक भागदौड़ और अतिरिक्त खर्च में भी उल्लेखनीय कमी आई है। (शेष पेज 2 पर)

अयोध्या मंदिर में चढ़ावा चोरी: आस्था, व्यवस्था और पारदर्शिता की चुनौती

-विजया पाठक

भारत में मंदिर केवल पूजा-अर्चना के स्थान नहीं हैं, बल्कि वे करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और सामाजिक जीवन के केंद्र हैं। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक के रूप में मंदिरों में नकद धनराशि, सोना-चांदी, आभूषण तथा अन्य मूल्यवान वस्तुएँ चढ़ाते हैं। विशेष रूप से अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में प्रतिदिन

देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं और बड़ी मात्रा में चढ़ावा अर्पित करते हैं। ऐसे में यदि चढ़ावे की चोरी या गबन जैसी घटनाएँ सामने आती हैं, तो यह केवल आर्थिक अपराध नहीं रहता, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं और विश्वास पर भी आघात पहुँचाता है। हाल के वर्षों में अयोध्या मंदिर से जुड़े चढ़ावे की सुरक्षा और कथित चोरी के मामलों ने यह प्रश्न खड़ा किया है कि धार्मिक संस्थानों में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही किस प्रकार सुनिश्चित की जाए। (शेष पेज 3 पर)

केवल एक क्विंटल बीस किलो प्रति एकड़ मूंग खरीद रही मप्र सरकार

(पेज 1 का शेष)

MSP और बाजार भाव के बीच बढ़ती खाई

सरकार हर साल मूंग के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित करती है, ताकि किसानों को उनकी लागत से कम दाम न मिलें। 2026 के आसपास मूंग का MSP लगभग 8800 प्रति क्विंटल है। लेकिन हकीकत यह है कि मंडियों में किसानों को 6000 से 7000 प्रति क्विंटल के बीच ही दाम मिल रहे हैं। जब सरकारी खरीद नहीं होती, तो किसान मजबूरी में निजी व्यापारियों को अपनी उपज बेच देते हैं। व्यापारी इसी स्थिति का फायदा उठाकर कम कीमत पर खरीदारी करते हैं।

निजी मंडियों का दबाव

जब सरकारी खरीद सीमित होती है, तो पूरा दबाव निजी मंडियों पर आ जाता है। वहां भाव पूरी तरह मांग और आपूर्ति पर निर्भर होते हैं। जैसे ही नई फसल बाजार में आती है, कीमतें तेजी से गिर जाती हैं। कई जिलों में देखा गया है कि शुरुआती दिनों में भाव ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे-जैसे आवक बढ़ती है, रेट गिरकर लागत के करीब या उससे नीचे पहुंच जाते हैं। इससे किसानों की मेहनत का लाभ बिचौलियों और व्यापारियों को मिल जाता है।

लागत बढ़ने और मुनाफा घटने की समस्या

किसान केवल फसल उगाने में ही नहीं, बल्कि बीज, खाद, सिंचाई, श्रम और परिवहन में भी भारी खर्च करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन सभी इनपुट लागतों में लगातार वृद्धि हुई है। लेकिन मूंग का बाजार भाव उसी अनुपात में नहीं बढ़ा। इस असंतुलन के कारण किसान "लागत निकालना" भी मुश्किल समझ रहे हैं। कई किसानों का कहना है कि अगर फसल MSP पर भी नहीं बिकती, तो वे घाटे में चले जाते हैं। किसानों की एक बड़ी चिंता नीति की अनिश्चितता भी है। कभी खरीद की घोषणा होती है, कभी प्रक्रिया देर से शुरू होती है, तो कभी सीमित कोटा तय कर दिया जाता है। इससे किसान यह तय नहीं कर पाते कि कौनसी फसल लाभकारी रहेगी। मप्र सरकार ने कुछ वर्षों में राज्य ने मूंग की खरीद प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता नहीं दी, जिससे किसानों का भरोसा कमजोर हुआ है और उन्होंने फसल पैटर्न बदलना शुरू कर दिया है। किसानों को उत्पादन जोखिम के साथ-साथ बाजार जोखिम भी झेलना पड़ता है, जिससे यह फसल पहले जैसी "कम जोखिम वाली" नहीं रह गई है।

छोटे और मध्यम किसानों की सबसे ज्यादा मार

मध्य प्रदेश के ज्यादातर मूंग उत्पादक छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास भंडारण की सुविधा नहीं होती। ऐसे किसान फसल को लंबे समय तक रोककर नहीं रख सकते, इसलिए उन्हें तुरंत मंडी में बेचना पड़ता है। यही वजह है कि बड़े व्यापारी और आढ़ती इस स्थिति का फायदा उठाते हैं और कम दामों पर खरीद कर मुनाफा कमाते हैं।

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश, जिसे भारत का "दलहन राज्य" भी कहा जाता है, देश में मूंग (हरी मूंग) उत्पादन के प्रमुख केंद्रों में से एक है। यहाँ के नर्मदापुरम, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, रायसेन, सीहोर और देवास जैसे जिलों में हर साल हजारों किसान ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करते हैं। यह फसल कम पानी में, कम समय में और अपेक्षाकृत बेहतर मुनाफे के लिए जानी जाती है। लेकिन हाल के वर्षों में यही फसल किसानों के लिए परेशानी और घाटे का कारण बनती जा रही है। इस साल भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। मूंग की फसल के बावजूद किसानों को मजबूरी में कम दामों पर अपनी उपज बेचनी पड़ रही है। इसके पीछे कई आर्थिक, प्रशासनिक और नीतिगत कारण हैं, जिन्होंने किसानों की कमर तोड़ दी है। यह केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि कृषि नीति और बाजार संरचना से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है।

नियमों को रखा जा रहा ताक पर गाडरवारा के निजी स्कूलों की बढ़ती मनमानी

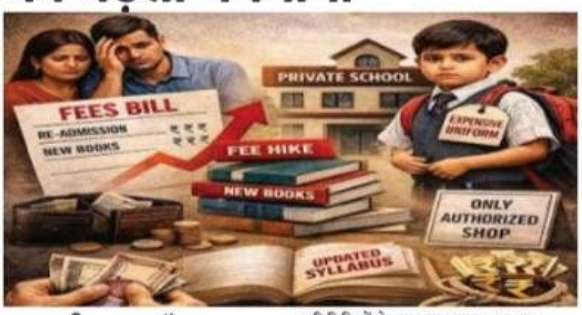

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. गाडरवारा। शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले निजी स्कूलों पर अब गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। शहर और आसपास के क्षेत्रों में कई निजी स्कूल ऐसे हैं जो नियम-कायदों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग की आंखें बंद हैं। इससे सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर इन स्कूलों को संरक्षण कौन दे रहा है? जानकारों का कहना है कि कई स्कूलों में मान्यता संबंधी नियमों, सुरक्षा मानकों, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति और फीस निर्धारण जैसे प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। इसके बावजूद कार्रवाई के नाम पर केवल कागजी खानापूर्ति नजर आती है। अभिभावकों का आरोप है कि निजी स्कूल हर वर्ष मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं। यूनिफॉर्म, किताबें, परिवहन और विभिन्न गतिविधियों के नाम पर अलग-अलग शुल्क वसूले जा रहे हैं। विरोध करने वाले अभिभावकों को बच्चों के भविष्य का डर दिखाकर चुप करा दिया जाता है।

जनता पूछ रही है जवाब

बिना नियमों का पालन किए स्कूल कैसे संचालित हो रहे हैं? शिक्षा विभाग ने अब तक कितनी जांच और कार्रवाई की? अभिभावकों की शिकायतों पर क्या कदम उठाए गए? क्या अधिकारियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होगी? शिक्षा के नाम पर यदि नियमों की अनदेखी और मनमानी जारी है, तो इसकी निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। गाडरवारा के अभिभावक अब जवाब चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर प्रशासन कब जागेगा और नियमों को ताक पर रखकर चल रहे स्कूलों पर कब कार्रवाई होगी?

स्मार्ट पंजीयन मॉडल बना सुशासन, पारदर्शिता और डिजिटल प्रशासन की नई पहचान

(पेज 1 का शेष)

परिवर्तनकारी बदलाव का उदाहरण

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मानना है कि सुशासन का वास्तविक अर्थ केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि नागरिकों तक समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं पहुंचाना है। इसी सोच के अनुरूप पंजीयन विभाग में किए गए सुधार राज्य की प्रशासनिक कार्यप्रणाली में परिवर्तनकारी बदलाव का उदाहरण बनकर सामने आए हैं। राज्य सरकार ने अगले एक वर्ष में प्रदेश के सभी 119 पंजीयन कार्यालयों को स्मार्ट कार्यालयों में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रथम चरण में नवा रायपुर की सीबीडी बिल्डिंग, बेबीलॉन टॉवर रायपुर, श्रीराम बिजनेस पार्क, सड्डू, कलेक्ट्रेट परिसर रायगढ़, दुर्ग, बिलासपुर, कुनकुरी, अभनपुर और तिल्दा सहित दस प्रमुख कार्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। इन कार्यालयों का स्वरूप अब पारंपरिक सरकारी दफ्तरों से अलग होकर आधुनिक सेवा केंद्रों जैसा दिखाई देने लगा है।

स्मार्ट पंजीयन कार्यालयों में नागरिकों के लिए वातानुकूलित प्रतीक्षालय, आरामदायक बैठक व्यवस्था, निःशुल्क वाई-फाई, मोबाइल चार्जिंग स्टेशन, स्वच्छ पेयजल, आधुनिक शौचालय, हेल्प डेस्क और प्री-प्रेजेंटेशन काउंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इन व्यवस्थाओं ने नागरिक सेवाओं के स्तर को नई ऊंचाई प्रदान की है और सरकारी कार्यालयों के प्रति लोगों की धारणा में भी सकारात्मक बदलाव लाया है। सरकार ने केवल भवनों का आधुनिकीकरण ही नहीं किया, बल्कि पूरी पंजीयन प्रक्रिया को भी तकनीक आधारित बनाया है। टोकन प्रणाली लागू होने से कार्यालयों में भीड़ और अव्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है। अब नागरिकों को निर्धारित समय पर सेवा मिल रही है, जिससे अनावश्यक प्रतीक्षा समाप्त हुई है। इसके साथ ही बिचौलियों की भूमिका लगभग खत्म होने से पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बन गई है।

कागजी कार्यवाही में उल्लेखनीय कमी

डिजिटल तकनीक के व्यापक उपयोग ने पंजीयन व्यवस्था को नई गति दी है। अब नागरिकों को व्हाट्सएप के माध्यम से आवेदन और प्रक्रिया संबंधी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। कैशलेस भुगतान की सुविधा से लेन-देन सुरक्षित और सरल हुआ है। खसरा नंबर के आधार पर संपत्ति की ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध होने से दस्तावेजों के सत्यापन में पारदर्शिता आई है। वहीं डिजीलॉकर के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित और तुरंत उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे कागजी कार्यवाही में उल्लेखनीय कमी आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक जवाबदेह और नागरिक हितैषी बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। पंजीयन विभाग में लागू किए गए सुधार इस बात का प्रमाण हैं कि यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति और तकनीकी नवाचार का समन्वय हो, तो सरकारी सेवाओं को आम नागरिकों के लिए सरल और प्रभावी बनाया जा सकता है।

रायगढ़ के लाभार्थी आशीष अग्रवाल का अनुभव भी इस परिवर्तन की सफलता को दर्शाता है। उनका कहना है कि पहले पंजीयन कार्यालय आने पर अव्यवस्था और लंबी प्रतीक्षा के कारण परेशानी होती थी, लेकिन अब कार्यालय का पूरा वातावरण बदल चुका है। बैठने की बेहतर व्यवस्था, वातानुकूलित परिसर, स्वच्छ वातावरण और त्वरित सेवाओं ने सरकारी कार्यालयों के प्रति विश्वास को मजबूत किया है। उन्होंने इस परिवर्तन के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों की सराहना की। पंजीयन व्यवस्था में यह बदलाव केवल सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक सुधारों की व्यापक सोच का हिस्सा है। राज्य सरकार का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था विकसित करना है जिसमें नागरिकों को कम से कम समय में अधिकतम सुविधा मिले और प्रत्येक प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे। यही कारण है कि पंजीयन विभाग तेजी से पेपरलेस और डिजिटल मॉडल की ओर अग्रसर है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्मार्ट पंजीयन मॉडल से संपत्ति पंजीयन प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी, राजस्व संग्रहण अधिक प्रभावी होगा और भ्रष्टाचार की संभावनाओं में कमी आएगी। डिजिटल रिकॉर्ड और ऑनलाइन सेवाओं के कारण भविष्य में भूमि और संपत्ति संबंधी विवादों में भी कमी आने की उम्मीद है।

प्रभावी ढंग से लागू

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार प्रशासनिक सुधारों को केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से लागू भी कर रही है। राज्य सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है कि शासन की प्रत्येक सेवा नागरिकों के लिए सरल, सुलभ और भरोसेमंद बने। इसी सोच का परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ का स्मार्ट पंजीयन मॉडल सुशासन की नई पहचान बनकर उभर रहा है। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने भी विभागीय सुधारों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके मार्गदर्शन में पंजीयन विभाग ने तकनीक आधारित सेवाओं को तेजी से अपनाया है और कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार किए हैं। इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ी है और नागरिकों का सरकारी सेवाओं पर विश्वास भी मजबूत हुआ है। छत्तीसगढ़ का यह स्मार्ट पंजीयन मॉडल अब अन्य राज्यों के लिए भी अध्ययन और अनुकरण का विषय बनता जा रहा है। जिस प्रकार राज्य सरकार ने तकनीक, पारदर्शिता और नागरिक सुविधाओं को केंद्र में रखकर पंजीयन व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया है, वह डिजिटल सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सुधारों के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। स्मार्ट पंजीयन मॉडल न केवल नागरिकों के जीवन को आसान बना रहा है, बल्कि यह राज्य में सुशासन, पारदर्शिता और आधुनिक प्रशासन की मजबूत आधारशिला भी स्थापित कर रहा है। "रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म" का विजन अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की बदलती प्रशासनिक व्यवस्था की वास्तविक पहचान बनता दिखाई दे रहा है।

अयोध्या मंदिर में चढ़ावा चोरी: आस्था, व्यवस्था और पारदर्शिता की चुनौती

(पेज 1 का शेष)

यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मंदिरों में आने वाला दान जनविश्वास पर आधारित होता है।

चढ़ावे का धार्मिक और सामाजिक महत्व

हिंदू परंपरा में दान और चढ़ावा ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम माना जाता है। श्रद्धालु अपनी क्षमता के अनुसार धन, वस्त्र, अनाज, सोना-चांदी अथवा अन्य सामग्री भगवान को अर्पित करते हैं। यह राशि मंदिर के रखरखाव, धार्मिक अनुष्ठानों, सामाजिक सेवा, शिक्षा, चिकित्सा और जनकल्याण के कार्यों में उपयोग की जाती है। अयोध्या का श्रीराम मंदिर देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। मंदिर के निर्माण के बाद यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। स्वाभाविक रूप से चढ़ावे की मात्रा भी बढ़ी है। ऐसे में उसके सुरक्षित संग्रह, गिनती, रिकॉर्ड और उपयोग के लिए अत्यंत मजबूत व्यवस्था की आवश्यकता होती है।

चोरी के आरोप और विवाद

जब किसी मंदिर में चढ़ावे की चोरी अथवा गबन के आरोप सामने आते हैं, तो सबसे पहले श्रद्धालुओं के मन में संदेह उत्पन्न होता है। यदि दानपात्र से धन गायब हो जाए, गिनती में अनियमितता मिले या कर्मचारियों पर धन निकालने के आरोप लगें, तो यह पूरे प्रबंधन की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगा देता है। अयोध्या मंदिर से जुड़े कुछ मामलों में भी कर्मचारियों अथवा संबंधित व्यक्तियों पर चढ़ावे की राशि में अनियमितता के आरोप लगे। कई मामलों में प्रशासन ने जांच कराई, संदिग्ध कर्मचारियों को हटाया या उनके विरुद्ध कार्रवाई की।

श्रद्धालुओं के विश्वास पर प्रभाव

मंदिरों की सबसे बड़ी पूँजी श्रद्धालुओं का विश्वास होता है। यदि लोगों को यह महसूस होने लगे कि उनके द्वारा चढ़ाया गया दान सुरक्षित नहीं है या उसका सही उपयोग नहीं हो रहा, तो इससे धार्मिक संस्थानों की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। हालाँकि अधिकांश श्रद्धालु भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा के कारण दान देना जारी रखते हैं, फिर भी वे यह अपेक्षा अवश्य रखते हैं कि उनकी आस्था का सम्मान हो और उनके द्वारा दिया गया दान जनकल्याण तथा मंदिर के विकास में ही खर्च किया जाए।

मामला कैसे सामने आया?

जून 2026 में मंदिर प्रशासन को चढ़ावे के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं की जानकारी मिली। इसके बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का अनुरोध किया। प्रारंभिक जांच के आधार पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई और कई कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

जांच में क्या सामने आया?

पुलिस और एसआईटी की प्रारंभिक जांच के अनुसार, चढ़ावे की नकदी की गिनती करने वाले कुछ कर्मचारियों पर नकदी की कथित हेराफेरी के आरोप लगे। जांच एजेंसियों ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जांच के दौरान नकदी बरामद होने और कुछ आरोपियों की आय की तुलना में अधिक संपत्ति होने की भी जांच की गई।

कथित तौर पर अपनाया गया तरीका

जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोप है कि कुछ कर्मचारी नकदी की गिनती के दौरान सीसीटीवी की निगरानी में मौजूद कमियों का लाभ उठाकर थोड़ी-थोड़ी रकम अलग कर देते थे। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि कथित रूप से नकदी को अस्थायी रूप से परिसर के भीतर छिपाया जाता था और बाद में बाहर ले जाया जाता था। ये विवरण पुलिस जांच का हिस्सा हैं और इनकी अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।

एसआईटी की कार्रवाई

विशेष जांच दल ने चढ़ावे की गिनती, नकदी के संग्रह, रिकॉर्ड, सुरक्षा व्यवस्था और वित्तीय प्रक्रियाओं की समीक्षा शुरू की। बाद में ट्रस्ट के पिछले पाँच वर्षों के खातों के पुनः ऑडिट (Re-audit) का निर्णय भी लिया गया ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कहीं व्यापक वित्तीय अनियमितता तो नहीं हुई।

भारत में समय-समय पर कई प्रमुख मंदिरों में चोरी

बद्रीनाथ मंदिर– वर्ष 2026 में मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के आरोप लगे, जिसके बाद मंदिर समिति ने जांच शुरू कराई।

सोमनाथ मंदिर– ऐतिहासिक रूप से कई बार लूट और आक्रमण का सामना कर चुका है। आधुनिक काल में भी सुरक्षा को लेकर समय-समय पर सतर्कता बढ़ाई गई है।

पुरी के प्राचीन मंदिर– वर्ष 2026 में पुरी जिले के कई मंदिरों में दानपात्र की नकदी और देवी-देवताओं के स्वर्ण एवं रजत आभूषण चोरी होने की घटनाएँ दर्ज हुईं।

जैन मंदिर– वर्ष 2025 में मंदिर के शिखर पर लगा लगभग 40 लाख रुपये मूल्य का स्वर्ण-लेपित कलश चोरी हो गया था। घटना सीसीटीवी में कैद हुई।

माता पहाड़ी मंदिर– वर्ष 2026 में मंदिर के पूर्व कर्मचारी को श्रद्धालुओं के चढ़ावे और कीमती सामान की कथित चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

काली मंदिर– वर्ष 2025 में दो काली मंदिरों से लाखों रुपये के स्वर्ण और रजत आभूषण चोरी होने की घटनाएँ सामने आईं।

इसके अलावा, देश के अनेक राज्यों विशेषकर तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में प्राचीन मूर्तियों और मंदिरों के आभूषणों की चोरी के अनेक मामले दर्ज हुए हैं। कई मामलों में पुलिस ने ऐसे गिरोहों का पर्दाफाश किया है जो वर्षों से मंदिरों को निशाना बना रहे थे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सभी मामलों की प्रकृति एक जैसी नहीं होती। कुछ में केवल दानपात्र से नकदी चोरी हुई, कुछ में आभूषण या मूर्तियाँ चोरी हुईं, जबकि कुछ मामलों में चढ़ावे के कथित गबन या वित्तीय अनियमितताओं की जांच चल रही है।

महतारी वंदन योजना महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वावलंबन की नई पहचानः मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महतारी वंदन योजना की 29वीं किश्त जारी करते हुए प्रदेश की 66 लाख से अधिक माताओं-बहनों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 626.25 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वावलंबन की नई पहचान बन चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज की किश्त के साथ योजना के अंतर्गत अब तक 29 किश्तों में कुल 18,805.83 करोड़ रुपये की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में नारी शक्ति के सशक्तिकरण का जो व्यापक अभियान चल रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार उसी संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर उतार रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्रवास के दौरान माताएं और बहनें स्वयं उन्हें बताती हैं कि महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। अनेक महिलाओं ने इस राशि से छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं, कई ने सिलाई-कढ़ाई एवं स्वरोजगार अपनाया है, जबकि बड़ी संख्या में परिवारों ने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में इसका उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के ये अनुभव इस योजना की वास्तविक सफलता और उसके दूरगामी सामाजिक प्रभाव के प्रमाण हैं। उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से प्रदेश में लागू की गई है। योजना के तहत 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाती है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को नियमित आर्थिक संबल मिलने के साथ परिवार के पोषण, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण एवं एनीमिया की रोकथाम तथा स्वरोजगार जैसी गतिविधियों को भी नई मजबूती मिली है।

उत्तर बंगाल के चाय बागान श्रमिकों के लिए 313.30 करोड़ रुपये की नई योजना

-अमित राय

जगत प्रवाह, कोलकाता। उत्तर बंगाल के चाय बागान श्रमिकों के समग्र विकास के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 'प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना' (पीएमसीपीवाई) के तहत 313.30 करोड़ रुपये की व्यापक विकास योजना को अंतिम रूप दिया है। इस योजना के माध्यम से चाय बागान श्रमिकों और उनके परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बुनियादी सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत 'चाय श्रमिक शिक्षा योजना' (सीएसएसवाई) के लिए 177 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग चाय श्रमिकों के परिवारों के बच्चों के लिए शैक्षिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किया जाएगा। वहीं, 'चाय श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' (सीएसएसएसवाई) के अंतर्गत 72 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस राशि से चाय बागान क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इसके अलावा 'चाय श्रमिक आश्रय योजना' (सीएसएवाई) के तहत 63 करोड़ रुपये की लागत से कुल 321 विश्राम गृह (रेस्टिंग शेड) बनाए जाएंगे। इनमें पहाड़ी क्षेत्रों में 88 और मैदानी इलाकों में 233 विश्राम गृह शामिल हैं। इन केंद्रों में सौर ऊर्जा, स्वच्छ पेयजल, बैठने की व्यवस्था और शौचालय जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उत्तर बंगाल विकास विभाग (एनबीडीडी) को सौंपी गई है। विभाग स्वास्थ्य विभाग, पश्चिम बंगाल समग्र शिक्षा मिशन तथा संबंधित जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगा। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य उत्तर बंगाल के चाय बागान श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

सम्पादकीय

नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना भाजपा की नई रणनीति या बदलते राजनीतिक समीकरण?

मध्यप्रदेश की राजनीति में दतिया विधानसभा सीट का विशेष महत्व रहा है। यह केवल एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि प्रदेश की सत्ता और संगठन की राजनीति का भी महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। ऐसे में यदि दतिया उपचुनाव में पूर्व गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलता है, तो यह निर्णय स्वाभाविक रूप से राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनेगा। किसी भी वरिष्ठ नेता का टिकट कटना केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं माना जाता, बल्कि उसके पीछे संगठन की व्यापक रणनीति, चुनावी गणित और भविष्य की राजनीतिक दिशा भी छिपी होती है। डॉ. नरोत्तम मिश्रा लंबे समय तक मध्यप्रदेश भाजपा के सबसे प्रभावशाली नेताओं में रहे हैं। मंत्री, संगठन के रणनीतिकार और विधानसभा में भाजपा के मजबूत पक्षकार के रूप में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक जवाबदेही के मामलों में उनकी सक्रिय भूमिका को उनके समर्थक आज भी याद करते हैं। ऐसे नेता का उपचुनाव में टिकट कटना कई सवालों को जन्म देता है।

हालांकि लोकतांत्रिक राजनीति में टिकट किसी का स्थायी अधिकार नहीं होता। प्रत्येक राजनीतिक दल समय, परिस्थितियों और चुनावी समीकरणों के आधार पर अपने प्रत्याशियों का चयन करता है। भाजपा भी पिछले कुछ वर्षों से "जीतने की क्षमता" और "नई पीढ़ी को अवसर" जैसे मानकों पर उम्मीदवार तय करने की बात करती रही है। यदि दतिया में भी ऐसा निर्णय लिया गया है, तो इसे संगठनात्मक रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। दूसरी ओर, यह भी ध्यान रखना होगा कि भाजपा में नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक अनुभव और संगठनात्मक योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे नेताओं की भूमिका केवल चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे संगठन को दिशा देने, कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने और चुनावी रणनीति तैयार करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए यदि उन्हें चुनावी मैदान से अलग रखा जाता है, तो पार्टी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके समर्थकों में किसी प्रकार की निराशा या असंतोष पैदा न हो।

भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन माना जाता है। पार्टी समय-समय पर यह संदेश देती रही है कि व्यक्ति से बड़ा संगठन होता है। अनेक अवसरों पर वरिष्ठ नेताओं को संगठनात्मक दायित्व देकर नई पीढ़ी को चुनावी अवसर दिए गए हैं। यदि दतिया में भी ऐसा निर्णय हुआ है, तो यह उसी परंपरा का हिस्सा माना जा सकता है। किंतु इसके साथ यह भी आवश्यक है कि अनुभवी नेतृत्व का सम्मान और उपयोग समान रूप से बना रहे। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो दतिया उपचुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं होगा। यह भाजपा और कांग्रेस, दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन सकता है। ऐसे में उम्मीदवार चयन का प्रभाव चुनाव परिणाम पर भी पड़ सकता है। यदि नया चेहरा जनता और कार्यकर्ताओं के बीच स्वीकार्यता प्राप्त करता है, तो भाजपा का निर्णय सफल माना जाएगा। लेकिन यदि संगठनात्मक असंतोष सामने आता है, तो विपक्ष इसे राजनीतिक अवसर के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। लोकतांत्रिक राजनीति में परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया है। नई पीढ़ी को अवसर देना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक अनुभवी नेतृत्व के अनुभव का सम्मान करना भी है। सफल राजनीतिक दल वही होते हैं, जो अनुभव और युवा नेतृत्व के बीच संतुलन स्थापित कर सकें। भाजपा के सामने भी यही चुनौती होगी कि वह इस निर्णय को केवल टिकट परिवर्तन तक सीमित न रखे, बल्कि संगठनात्मक एकता और कार्यकर्ताओं के विश्वास को भी मजबूत बनाए रखे। अंततः यदि दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलता है, तो इसका वास्तविक राजनीतिक मूल्यांकन चुनाव परिणाम और उसके बाद की परिस्थितियों से ही होगा। राजनीति में कोई भी निर्णय अंतिम नहीं होता। कई बार चुनावी मैदान से दूर रहकर भी नेता संगठन और सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए यह देखना अधिक महत्वपूर्ण होगा कि भाजपा इस निर्णय के बाद अपने संगठनात्मक संतुलन और चुनावी रणनीति को किस प्रकार आगे बढ़ाती है। यही तय करेगा कि यह फैसला केवल उम्मीदवार परिवर्तन था या फिर मध्यप्रदेश भाजपा की नई राजनीतिक दिशा का संकेत।

सियासी गहमागहमी

दतिया के भाजपा नेताओं में बढ़ा असंतोष

दतिया की राजनीति इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी को लेकर चर्चा में है। उपचुनाव और संगठनात्मक गतिविधियों के बीच स्थानीय नेताओं एवं कार्यकर्ताओं में असंतोष की खबरें राजनीतिक हलकों में नई बहस को जन्म दे रही हैं। किसी भी दल की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन और समर्पित कार्यकर्ता होता है। ऐसे में यदि कार्यकर्ताओं को निर्णय प्रक्रिया में स्वयं को उपेक्षित महसूस होने लगे, तो उसका प्रभाव चुनावी तैयारियों पर भी पड़ सकता है। दतिया भाजपा लंबे समय से संगठनात्मक रूप से मजबूत मानी जाती रही है, लेकिन हालिया घटनाक्रमों ने यह संकेत दिया है कि स्थानीय स्तर पर संवाद और समन्वय को और मजबूत करने की आवश्यकता है। यदि असंतोष को समय रहते दूर नहीं किया गया, तो विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास करेगा। हालांकि भाजपा का संगठन समय-समय पर आंतरिक मतभेदों को संवाद के माध्यम से सुलझाने के लिए जाना जाता है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रदेश नेतृत्व और संगठन दतिया के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं की नाराजगी को किस प्रकार दूर करता है। चुनावी राजनीति में एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए दतिया में बढ़ते असंतोष को केवल स्थानीय विवाद मानकर नजरअंदाज करने के बजाय, उसे संगठनात्मक संवाद और विश्वास बहाली के अवसर के रूप में देखना भाजपा के लिए अधिक उपयोगी साबित हो सकता है।

कमलनाथ को मप्र कांग्रेस में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

मध्यप्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व और संगठन को लेकर लगातार चर्चाओं के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की अटकलें एक बार फिर तेज हो गई हैं। यदि पार्टी आलाकमान ऐसा कोई निर्णय लेता है, तो इसे केवल एक संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि आगामी चुनावों की रणनीति के रूप में भी देखा जाएगा। कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस के सबसे अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। लंबे संसदीय अनुभव, संगठन पर मजबूत पकड़ और प्रशासनिक कार्यशैली के कारण उनका नाम आज भी कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में शामिल है। वर्ष 2018 में कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही कारण है कि पार्टी के एक वर्ग का मानना है कि संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में विश्वास पैदा करने के लिए उनके अनुभव का उपयोग किया जाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसलिए वर्तमान में इसे केवल राजनीतिक अटकलों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। यदि भविष्य में ऐसा कोई निर्णय होता है, तो उसका प्रभाव प्रदेश कांग्रेस की रणनीति, संगठनात्मक सक्रियता और आगामी चुनावी तैयारियों पर पड़ सकता है। फिलहाल सभी की नजर पार्टी आलाकमान के अगले कदम पर टिकी हुई है।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

वियतनाम के फू वोपोक द्वीप के पास हुई दर्दनाक नाव पलटने की घटना से गहरा दुख हुआ है, जिसमें भारतीय पर्यटक सवार थे।

जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। मेरी प्रार्थनाएँ उन लोगों के साथ भी हैं जो अभी भी लापता हैं, और उनके परिवारों के साथ जो क्लेशपूर्ण प्रतीक्षा से गुज़र रहे हैं।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता

@RahulGandhi

आओ, मिलकर मध्य प्रदेश को बचाएँ।
न्याय की मांग के लिए साइकिल चलाएँ!

युवा स्वाभिमान : Gen-Z Cyclothon
14 जुलाई को इंदौर से प्रारंभ होकर 15 जुलाई 2026 को भोपाल पहुँचेगी।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

जीतू पटवारी: संघर्ष, जनसरोकार और सक्रिय राजनीति का चेहरा

समता पाठक/जगत प्रवाह

मध्यप्रदेश की राजनीति में यदि उन नेताओं की चर्चा की जाए जिन्होंने छात्र राजनीति से लेकर प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक का सफर अपने संघर्ष, संगठनात्मक सक्रियता और जनसंपर्क के बल पर तय किया है, तो जीतू पटवारी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वे कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने लंबे समय तक जमीनी राजनीति करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई। स्पष्ट वक्ता, आक्रामक शैली और किसानों, युवाओं तथा ग्रामीण मुद्दों पर मुखर रहने के कारण वे प्रदेश की राजनीति में एक प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं। जीतू पटवारी का जन्म 20 नवंबर 1973 को मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के राऊ क्षेत्र में एक कृषक परिवार में हुआ। बचपन से ही उनका जुड़ाव ग्रामीण जीवन और कृषि परिवेश से रहा, जिसका प्रभाव आगे चलकर उनकी राजनीतिक सोच और प्राथमिकताओं में भी दिखाई दिया। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और छात्र जीवन से ही सामाजिक गतिविधियों तथा सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी।

राजनीति में उनकी सक्रिय यात्रा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) और बाद में युवक कांग्रेस के माध्यम से आगे बढ़ी। संगठन में कार्य करते हुए उन्होंने युवाओं के बीच मजबूत आधार तैयार किया। यही संगठनात्मक अनुभव उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बना। कांग्रेस संगठन में उन्होंने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया और धीरे-धीरे प्रदेश नेतृत्व का विश्वास अर्जित किया। विधानसभा राजनीति में जीतू पटवारी ने राऊ विधानसभा क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बनाया। लगातार जनसंपर्क, स्थानीय समस्याओं के समाधान के प्रयास और क्षेत्र में सक्रिय उपस्थिति के कारण उन्होंने अपनी अलग पहचान स्थापित की। वे कई बार राऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए और कांग्रेस के प्रमुख क्षेत्रीय नेताओं में शामिल हो गए। विधानसभा में भी उन्होंने किसानों, सिंचाई, शिक्षा, सड़क, रोजगार और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे विषयों पर मुखरता से अपनी बात रखी।

वर्ष 2018 में मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के मंत्रिमंडल में जीतू पटवारी को उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई। मंत्री के रूप में उन्होंने उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता सुधार, खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन तथा युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने संबंधी अनेक पहल करने का प्रयास किया। उनका कार्यकाल अपेक्षाकृत छोटा रहा, क्योंकि मार्च 2020 में सरकार बदल गई, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने विभागों में सक्रियता बनाए रखी। सरकार जाने के बाद भी जीतू पटवारी विपक्ष की भूमिका में लगातार सक्रिय रहे। उन्होंने प्रदेश सरकार की नीतियों पर मुखर होकर अपनी बात रखी और किसानों, बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता तथा कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों को लगातार उठाया। उनकी राजनीतिक शैली आक्रामक मानी जाती है और वे मीडिया तथा जनसभाओं में बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं।

वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस संगठन ने उन्हें मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। यह उनके राजनीतिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक रही। संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करना और आगामी चुनावों के लिए पार्टी को तैयार करना उनके सामने प्रमुख चुनौतियाँ रहीं। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संगठन विस्तार, बूथ स्तर तक सक्रियता और जनआंदोलनों के माध्यम से कांग्रेस को सक्रिय बनाए रखने का प्रयास किया। जीतू पटवारी की राजनीति का सबसे मजबूत पक्ष उनका जनता से सीधा संवाद माना जाता है। वे अक्सर गांवों, कस्बों और शहरों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। किसानों के आंदोलन, युवाओं की मांगों और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर उनकी सक्रियता उन्हें एक जननेता के रूप में स्थापित करती है। हालांकि राजनीतिक जीवन में उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है। उनकी तीखी बयानबाजी कई बार विवादों का कारण बनी और विपक्ष ने उनके बयानों को लेकर उन्हें घेरा। लेकिन समर्थकों का मानना है कि उनकी स्पष्टवादिता ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है और वे बिना लाग-लपेट अपनी बात रखने में विश्वास करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में जीतू पटवारी सरल स्वभाव, सहज व्यवहार और कार्यकर्ताओं के बीच सहज उपलब्ध रहने वाले नेता माने जाते हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े होने के कारण कृषि और किसान हित उनके राजनीतिक विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। वे युवाओं की भागीदारी को लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं और नई पीढ़ी को राजनीति में आगे आने के लिए प्रेरित करते रहे हैं।

नशे के विरुद्ध निर्णायक युद्धः ड्रग्स माफियाओं पर बढ़ा प्रहार

किशन भावनानी
एडवोकेट

वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार भारत ने वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध समयबद्ध रणनीति अपनाकर विजन 2026 के माध्यम से नक्सलवाद को निर्णायक रूप से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया, उसी प्रकार अब केंद्र सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी और नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध भी एक स्पष्ट, बहुस्तरीय और समयबद्ध अभियान प्रारंभ किया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा 26 जून 2026 को नार्को- कोऑर्डिनेशन सेंटर (नार्कॉर्ड) की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक में जारी नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 केवल एक प्रशासनिक दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, युवाओं के भविष्य और संगठित अंतरराष्ट्रीय अपराध के विरुद्ध घोषितरणनीतिक युद्ध का रोडमैप है। गृहमंत्री द्वारा प्रस्तुत 3डी रणनीति- डिटेक्ट, डिसट्रप्ट और डिस्ट्रॉय, इस नई नीति का संचालन सिद्धांत है। डिटेक्ट का अर्थ है अत्याधुनिक तकनीक, खुफिया सूचनाओं और डेटा विश्लेषण के माध्यम से नेटवर्क की प्रारंभिक पहचान करना।डिसट्रप्ट का उद्देश्य अपराधी नेटवर्क की गतिविधियों को बीच में ही रोक देना है ताकि वे अपनी आपूर्ति श्रृंखला संचालित न कर सकें। डिस्ट्रॉय का आशय है अपराधियों के आर्थिक स्रोत, अवैध संपत्तियों, उत्पादन केंद्रों और पूरे नेटवर्क को स्थायी रूप से समाप्त करना। यह रणनीति केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं बल्कि अपराध की संरचना को ध्वस्त करने पर आधारित है।सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आने वाले तीन वर्ष यह तय करेंगे कि भारत नशे के वैश्विक नेटवर्क के सामने झुकेगा या उसे निर्णायक रूप से परास्त करेगा। आज मादक पदार्थों की तस्करी पारंपरिक अपराध की सीमा से बहुत आगे निकल चुकी है। यह आतंकवाद, हथियारों की तस्करी, हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर अपराध और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध से गहराई से जुड़ चुकी है। दुनियाँ के अनेक सुरक्षा विशेषज्ञ यह मानते हैं कि ड्रग्स का पैसा अक्सर आतंकवादी संगठनों, उग्रवादी नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट की वित्तीय जीवनरेखा बनता है। इसी कारण भारत सरकार ने पहली बार स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया है कि ड्रग्स केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर प्रश्न है। यह दृष्टिकोण भारत की एंटी नारकोटिक्स नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत देता है।

नार्कॉर्ड की 10वीं बैठक में गृहमंत्री ने कहा कि आने वाले तीन वर्ष यह निर्धारित करेंगे कि नशा भारत पर हावी होगा या भारत नशे पर विजय प्राप्त करेगा। यह केवल राजनीतिक वक्तव्य नहीं बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही का सार्वजनिक संकल्प है। इस बैठक में केंद्र सरकार, राज्यों, केंद्रीय जांच एजेंसियों, सुरक्षा बलों और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि सरकार इस चुनौती को पूरे शासन तंत्र की सामूहिक जिम्मेदारी मान रही है।

नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 की सबसे बड़ी विशेषता इसका त्रिस्तरीय दृष्टिकोण है।पहला लक्ष्य है डिमांड रिडक्शन अर्थात समाज विशेषकर युवाओं में नशीले पदार्थों की मांग को कम करना। दूसरा लक्ष्य है सप्लाई रिडक्शन अर्थात तस्करी की पूरी आपूर्ति श्रृंखला को ध्वस्त करना। तीसरा लक्ष्य है हार्म रिडक्शन एवं पुनर्वास,अर्थात नशे के शिकार व्यक्तियों को अपराधी नहीं बल्कि उपचार और पुनर्वास के पात्र नागरिक मानते हुए उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाना। यही संतुलित दृष्टिकोण आधुनिक वैश्विक ड्रग नीति का भी आधार माना जाता है।

इस विजन डॉक्यूमेंट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह केवल ड्रग्स पकड़ने की नीति नहीं है बल्कि पूरे अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने की रणनीति प्रस्तुत करता है। पहले जहां कार्रवाई का मुख्य केंद्र ड्रग्स की बरामदगी और छोटे तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित रहता था, वहीं अब लक्ष्य पूरे अंतरराष्ट्रीय कार्टेल, उनके वित्तीय स्रोत, हवाला नेटवर्क, मनी लॉन्ड्रिंग चैनल, डार्कनेट प्लेटफॉर्म और विदेशी संचालकों तक पहुंचना है। यह नेटवर्क आधारित प्रवर्तन भारत की जांच प्रणाली को अधिक प्रभावी बना सकता है। बीते कुछ वर्षों में ड्रग्स तस्करी का स्वरूप तेजी से बदला है। अफीम, चरस और गांजा जैसे पारंपरिक मादक पदार्थों के साथ-साथ अब सिंथेटिक ड्रग्स जैसे मेथमफेटामाइन, एमडीएमए और अन्य रासायनिक नशीले पदार्थ,तेजी से फैल रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इन्हें छोटे-छोटे गुप्त प्रयोगशालाओं में तैयार किया जा सकता है, इन्हें छिपाना अपेक्षाकृत आसान होता है और इनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार डिजिटल माध्यमों से संचालित होता है। यही कारण है कि विजन डॉक्यूमेंट में सिंथेटिक ड्रग्स को विशेष खतरे के रूप में चिन्हित किया गया है।

डिजिटल युग ने ड्रग तस्करी को नई दिशा दी है। डार्कनेट, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और क्रिप्टोकरेंसी ने अपराधियों को ऐसी गुमनामी प्रदान की है जिससे पारंपरिक पुलिस व्यवस्था के लिए उन्हें पकड़ना कठिन हो गया है। आज कई अंतरराष्ट्रीय ड्रग सौदे बिना किसी प्रत्यक्ष संपर्क के ऑनलाइन तय होते हैं और भुगतान डिजिटल माध्यमों से होता है। भारत की नई नीति इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए साइबर फॉरेंसिक, डिजिटल निगरानी, डेटा इंटेलिजेंस और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल देती है।

नार्कॉर्ड की चार स्तरीय संरचना, राष्ट्रीय, राज्य, जिला और उप-जिला स्तर, भारत जैसे विशाल और संघीय देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ड्रग्स नेटवर्क स्थानीय स्तर पर सक्रिय होते हैं लेकिन उनके तार अंतरराष्ट्रीय संगठनों से जुड़े हो सकते हैं। इसलिए स्थानीय पुलिस से लेकर केंद्रीय एजेंसियों तक एकीकृत समन्वय ही इस चुनौती का प्रभावी समाधान प्रदान कर सकता है। बैठक के दौरान देशभर में लगभग 2,09,500 किलोग्राम अवैध नशीले पदार्थों का विनाश किया गया जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 6,000 करोड़ रूपए बताई गई। यह केवल प्रतीकात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि यह संदेश है कि जब्त किए गए मादक पदार्थ पुनः अवैध बाजार में नहीं लौटेंगे। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वित कार्रवाई के परिणाम अब अधिक व्यापक रूप में सामने आ रहे हैं। भारत सरकार ने जम्मू और गुवाहाटी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय प्रारंभ कर सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी संस्थागत क्षमता भी मजबूत की है। भारत की पश्चिमी और पूर्वोत्तर सीमाएं लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स मार्गों से प्रभावित रही हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में संस्थागत उपस्थिति बढ़ाना रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।

ड्रग्स के विरुद्ध संघर्ष केवल गृह मंत्रालय या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं रहेगा बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, वित्त, सीमा प्रबंधन, विदेश नीति, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य मंत्रालयों सहित पूरे शासन तंत्र की साझा जिम्मेदारी होगी। जब 44 केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और विभिन्न एजेंसियां एक साझा लक्ष्य के साथ कार्य करेंगी, तभी व्यापक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। नशे के विरुद्ध लड़ाई केवल दमनात्मक कार्रवाई से नहीं जीती जा सकती। यदि समाज में जागरूकता, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में नशा विरोधी अभियान, परिवारों की सहभागिता मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पुनर्वास केंद्रों की प्रभावशीलता नहीं बढ़ेगी तो केवल गिरफ्तारी से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं होगा। इसलिए विजन डॉक्यूमेंट में मांग कम करने और पुनर्वास को समान महत्व दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ड्रग्स के विरुद्ध संघर्ष में सहयोग अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि ड्रग्स उत्पादन, तस्करी, वित्तपोषण और वितरण अक्सर कई देशों में फैला होता है। इसलिए प्रत्यर्पण, साझा खुफिया जानकारी, सीमापार जांच और अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग भारत की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। हालांकि किसी भी विजन डॉक्यूमेंट की सफलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। यदि राज्यों के बीच समन्वय मजबूत नहीं होगा, जांच समयबद्ध नहीं होगी, न्यायालयों में मामलों का शीघ्र निपटारा नहीं होगा और पुनर्वास व्यवस्था पर्याप्त नहीं होगी, तो लक्ष्य प्राप्त करना कठिन हो सकता है। इसलिए आने वाले तीन वर्षों में वास्तविक परीक्षा केवल नीति की नहीं बल्कि उसके प्रभावी कार्यान्वयन की होगी।

परिवर्तन का वाहक बनेगा क्वांटम

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

भविष्य में क्वांटम तकनीक संचार और गणित में तेजी लाने के साथ वैष्विक अर्थव्यवस्था, रक्षा, स्वास्थ और वित्त के क्षेत्र में बड़े बदलाव की वाहक बनने जा रही है। भारत ने इस क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाने की दृष्टि से 2023 में ही राष्ट्रीय क्वांटम मिषन' की षुरूआत कर दी है। इसका लक्ष्य देष में क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसर और क्वांटम पदार्थों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इस अभियान के लिए हजारों करोड़ों रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि भारत इस उभरती हुई तकनीक की वैष्विक प्रतिस्पर्धा में पीछे न रह जाए। जिस तरह से इंटरनेट की सुविधा हासिल होने के बाद दुनिया डिजिटल संचार मानचित्र में बदल गई, उसी तरह क्वांटम तकनीक भी भविश्य में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को गहराई से प्रभावित कर सकती है। इसलिए यह तकनीक केवल वैज्ञानिकों की ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविश्य को तय करने का मापदंड साबित हो सकती है। क्योंकि भारत में 28 से 35 आयु वर्ग के युवाओं की संख्या 65 प्रतिशत और 15 से 29 आयु वर्ग के युवाओं की संख्या 27 फ़ीसदी है।

दुनिया में इस समय दिन दूनी रात चौगुनी गति से प्रगति हो रही है। कुछ समय पहले तक असंभव सी लगने वाली चीजें आज प्रौद्योगिकी की मदद से सरलता से परिणाम तक पहुंच रही हैं। एक समय संगणक के विकास ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया था। अब कृत्रिम बौद्धिकता; आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द ने चिकित्सा से लेकर हथियारों के निर्माण तक हर क्षेत्र में कंप्यूटर और रोबोट के प्रयोग को नया आयाम दिया है। पारंपरिक कंप्यूटर की दुनिया में इस प्रगति के समानांतर एक और अनुसंधान चल रहा है, जिसका नाम है क्वांटम कंप्यूटिंग यानी अति.सूक्ष्मता का विज्ञान।भारत ने भी अब इस क्षेत्र में गति लाने का ऐलान कर दिया है। भौतिक शास्त्र के क्वांटम सिद्धांत पर काम करने वाली इस कंप्यूटिंग में असीमित संभावनाएं देखी जा रही हैं। शोध के लिहाज से यह विषय किसी के लिए भी रुचि का विषय हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार एक पूर्ण विकसित क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा आंकी जा रही है। इस क्वांटम कंप्यूटिंग या मैकेनिक्स की खास बात यह है कि इसकी शुरुआत के बाद भारतीय और पश्चिमी वैज्ञानिक यह मान रहे हैं कि भारतीय भाववादी सिद्धांत को जाने बिना अणु या कण में चेतना का आकलन नहीं किया जा सकता।क्वांटम भौतिकी और कृत्रिम बौद्धिकता एक तरह से चेतना के भाववादी सिद्धांत को ही अस्तित्व में लाने के उपाय हैं।

क्वांटम कंप्यूटिंग या यांत्रिकी एक लैटिन शब्द है। इसका अर्थ अति सूक्ष्म कण है। इस विषय के अंतर्गत पदार्थ के अति सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है। इनमें परमाणु न्यूक्लियस एवं इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन सभी मौलिक कणों का अध्ययन शामिल है। इसमें इनके व्यवहार और उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है। इस नवीन विषय के अध्ययन की नींव 1890 में वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने डाली थी। हालांकि इस समय तक वैज्ञानिक यह मानकर चल रहे थे कि भौतिकी में जितने नियमों का आविष्कार होना था, लगभग हो चुका है। अब केवल इन नियमों को प्रत्येक जगह क्रियान्वित करना भर शेष है। किंतु कुछ प्रश्न तब भी ऐसे थे, जिनके हल खोजे नहीं जा सके थे। अभी तक काले पिंड के सतत वर्णक्रम (स्पेक्ट्रम) के भिन्न-भिन्न भागों की ऊर्जा के वितरण को परिभाषित नहीं किया जा सका था। इसे समझने के लिए प्लांक ने प्रकाश उत्सर्जन करने वाले द्रव्य.कणों की निरंतर चाल के साथ उनमें बिखरी ऊर्जा को भी समझने का विचार दिया। इससे काले पिंड के वर्णक्रम की व्याख्या सुलझ गई। दरअसल इस सोच के परीक्षण में जो निष्कर्ष आएए उनसे ज्ञात हुआ कि ऊर्जा का विकिरण लगातार न होकर टुकड़ों-टुकड़ों में होता है। इन टुकड़ों को विकिरण कण नाम दिया गया। यह विकिरण भी कणों पर नहींए बल्कि तरंगों के आधार पर चलता है। यह नियम विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के विपरीत था, क्योंकि अब तक यह माना जाता था कि द्रव्य. कणों की गति में विद्यमान ऊर्जा निरंतर गतिशील रहती है। यानी क्वांटम सिद्धांत के तहत अणुए परमाणु और इनके भी मूलभूत कण बेहद लघुतम अवस्था में मौजूद रहते हैं। इस खोज पर 1918 में मैक्स प्लांक को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला। 1924 में सत्येंद्रनाथ बोस ने प्लांक के विकिरण नियम को समझाने के लिए एक सर्वथा नवीन विधि सुझाई। उन्होंने प्रकाश की कल्पना द्रव्यमान रहित कणों के एक गैस पिंड के रूप में की। इसे फोटॉन गैस के रूप में मान्यता मिली। बाद में इस मान्यता को अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी स्वीकृति दी।

विज्ञान ने पहले परमाणु को ही ऐसा सबसे सूक्ष्मतम कण बतलाया था, जिसने विश्व का निर्माण किया है। फिर आगे की खोज से ज्ञात हुआ कि परमाणु भी विभाजित हो सकता है। यानी उसे और अत्यंत सूक्ष्म कणों में बांटा जा सकता है। फलतः ये सूक्ष्म कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के लघुतम रूपों में सामने आए। कालांतर में कण मसलन क्वांटम भौतिकी और विकसित रूपों में सामने आई। तब पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को और विभाजित किया जा सकता है। अंततः इसे क्वार्क व लैपटॉन जैसे सूक्ष्म कणों में विभाजित कर भी लिया गया। इस तरह से कण भौतिकी में एक प्रामाणिक प्रतिदर्श सामने आया, जिसमें क्वार्क व लैप्टॉन के बारह सूक्ष्मतम कणों के प्रकार दर्ज हैं। इन्हें जरूर अब तक अविभाज्य माना गया है। अब इन्हें ही मूल कण माना जा रहा है। आधुनिक विज्ञान में यह धारणा बन रही है कि पदार्थ से संबंधित अत्यंत कम द्रव्यमान वालेए इन्हीं मूल कणों से सृष्टि के जड़ एवं चेतन स्वरूप अस्तित्व में आए हैं।

कण यांत्रिकी को कल के कंप्यूटर का भविष्य माना जा रहा है। यह परमाणु और उपपरमाणु के स्तर पर ऊर्जा और पदार्थ की व्याख्या करती है। पारंपरिक कंप्यूटर बिट; अंशद्ध पर काम करते हैं वहीं क्वांटम कंप्यूटर में प्राथमिक इकाई क्यूबिट यानी कणांश होती है। पारंपरिक कंप्यूटर में प्रत्येक बिट का मूलाधार या मूल्य शून्य (0) और एक (1) होता है। कंप्यूटर इसी शून्य और एक की भाषा में ही कुंजीपटल (की-बोर्ड) से दिए निर्देश को ग्रहण करके समझता है और परिणाम को अंजाम देता है। वहीं क्वांटम की विलक्षणता यह होगी कि वह एक साथ ही शून्य और एक दोनों को ग्रहण कर लेगा। यह क्षमता क्यूबिट की वजह से विकसित होगी। परिणामस्वरूप यह दो क्यूबिट में एक साथ चार मूल्य या परिणाम देने में सक्षम हो जाएगा। एक साथ चार परिणाम स्क्रीन पर प्रकट होने की इस अद्वितीय क्षमता के कारण इसकी गति पारंपरिक कंप्यूटर से कहीं बहुत ज्यादा होगी। इस कारण यह पारंपरिक कंप्यूटरों में जो कूटरचना या गूढ़ लेखन कर दिया जाता है, उससे कहीं अधिक मात्रा में यह कंप्यूटर डाटा ग्रहण व सुरक्षित रखने में समर्थ होगा। इसीलिए दावा किया जा रहा है कि इसकी मदद से आंकड़ों और सूचनाओं को कम से कम समय में प्रसारित किया जा सकेगा। एआईएजीपीटी चेट और चैटबॉट जैसी तकनीक इसकी सहायता से और तेजी से गतिशील रहेंगी। लेकिन विलो चिप निर्माण कर लिए जाने की घोषणा ने सुपर कंप्यूटर के निर्माताओं को फिलहाल सकते में डाल दिया है।क्योंकि विलो चिप की क्षमताएं ब्रह्मांड व्यास की तरह शक्तिशाली और असीमित बताई गई हैं।

क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता को देखते हुए इसके विकास में भारत समेत अनेक देश लगे हैं। यही वजह है कि आविष्कार से पहले इसकी क्षमताओं का मूल्यांकन कर लेने वाले देश इसके अनुसंधान पर बढ़ी धनराशि खर्च कर रहे हैं। चीन ने 15 अरब डॉलर खर्च करने की घोषणा की है, चीन की ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा अलग से इस पर काम कर रही है। यूरोपीय यूनियन इस क्षेत्र में करीब 8 अरब डॉलर खर्च कर रही है। भारत सरकार ने भी इस दिशा में शोध को बढ़ावा देने के लिए क्वांटम सूचना.विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्था का गठन तो पहले ही कर लिया था, लेकिन केवल क्वांटम तकनीक पर नवीन शोध और आविष्कार के लिए 2023-24 से 2030-31 तक चलने वाले इस अभियान पर इस 6003.65 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भारत इतनी बड़ी धनराशि पहली बार खर्च कर रहा है।

फिलहाल ऐसा भी माना जा रहा है कि क्वांटम यांत्रिकी का क्षेत्र जितना महत्वपूर्ण है,उस तुलना में इस क्षेत्र में कुशल युवाओं की संख्या बहुत कम है। एक अनुमान के मुताबिक दुनियाभर में कुछ हजार से भी कम लोग क्वांटम अभियांत्रिकी या भौतिकी में शोधरत हैं। अनेक कंपनियां कल्पनाशील एवं योग्य लोगों की तलाश में हैं । हैरानी इस पर भी है कि इस क्षेत्र में भविष्य की अपार संभावनाएं होने के बावजूद इस जटिल विषय की ओर युवा आकर्षित नहीं हो रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि कुशाग्र बुद्धि वाले जो विद्यार्थी कल्पनाशील विचार रखते हैं, उन्हें हतोत्साहित किया जाकर इस मेधा.शक्ति को कंपनियों के पारंपरिक कार्यों में खपाया जा रहा है या सरकारी नौकरियां करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अतएव भारत के इंजीनियरिंग तकनीक से शिक्षित युवा इस तकनीक में कौशल दक्षता दिखा सकते हैं।

खसरा ऑनलाइन अपडेट में देरी से ग्रामीण परेशान, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बाद भी नहीं हुआ निराकरण

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। तहसील रहटगांव निवासी नवीन अग्रवाल ने खसरे की ऑनलाइन नकल अपडेट नहीं होने से हो रही परेशानी को लेकर सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता के अनुसार खसरा नंबर 173, हल्का नंबर 20 के ऑनलाइन अपडेट के लिए 06 मई 2026 को तहसील कार्यालय रहटगांव में आवेदन प्रस्तुत किया गया था लेकिन लंबे समय के बाद भी रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट नहीं किया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि एसडीएम कार्यालय से संबंधित फाइल तहसील रहटगांव भेज दी थी लेकिन तहसील कार्यालय में फाइल उपलब्ध नहीं होने की बात कही जा रही है। इसके कारण खसरे की ऑनलाइन नकल प्राप्त नहीं हो पा रही है। इस संबंध में शिकायतकर्ता ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कर शीघ्र निराकरण की मांग की है। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर वर्तमान स्थिति में शिकायत पर कार्रवाई प्रचलित है तथा निराकरण अधिकारी द्वारा कार्यवाही जारी होना दर्शाया गया।

असंतुलित शहरीकरण: शहरों ने पृथ्वी से गर्मी चुरा ली

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

तेजी से शहरीकरण के कारण पीने का पानी, बिजली, नदियों पर प्रदूषण का भार बढ़ गया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश के प्रथम श्रेणी के शहरों और द्वितीय श्रेणी के कस्बों से प्रति दिन लगभग 38254 मिलियन लीटर (एमएलडी) सीवेज उत्पादन के अनुमान के मुकाबले उपलब्ध उपचार क्षमता 11,787 है। ऑक्सफोर्ड इकॉनॉमिक के अध्ययन के मुताबिक 2017 से लेकर 2035 के बीच सबसे तेजी से बढ़ने वाले शीर्ष दस शहर भारत के होंगे। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत का शहरीकरण अस्त व्यस्त है। प्रदूषित नदियां, तालाबों, झीलें, नाले, गंदी बस्तियों का विस्तार आदि ऐसे मुद्दे हैं, जो शहरीकरण की वास्तविक स्थिति को बयां करते नजर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय दुनिया की आधी आबादी शहरों में रहती है। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक भारत की आबादी महानगरों और शहरों में रहने लगेगी और तब की विश्व की आबादी का 68 फीसदी हिस्सा शहरों में होगा। दुनिया की आधी से अधिक आबादी शहरों में है, जो शहरों के बाहर उत्पादित भोजन और वस्तुओं का एक बड़ा हिस्सा उपभोग करती है। शहरी जनसंख्या में वृद्धि, वायु गुणवत्ता की समस्याओं का मुख्य कारकों में से एक है। वर्ष 2016 में 31 मेगा शहरों की आबादी कम से कम 10 मिलियन थी, जिनमें से 08 की आबादी 20 मिलियन से अधिक थी। हालांकि द्वितीयक शहर छोटे से मध्यम आकार के शहर (50 हजार से 10 लाख) की संख्या तेजी से बढ़ रही है और दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते शहरीकरण में से कुछ है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में योगदान दे रहे हैं। यह शहरीकरण ग्लोबल वार्मिंग उत्सर्जन में प्रमुख योगदान दे रहे हैं। उच्च घनत्व और शहरी ताप द्वीप प्रभाव पड़ने की संभावना है जिससे वायु प्रदूषण, पानी की कमी और गर्मी की बिमारी जैसी मौजूदा समस्या बढ़ाएगी।

शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव कहीं न कहीं विकास और निर्माण परियोजनाओं को संदेह के घेरे में लाता है। नगरीय स्वयायतशासी संस्थाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शीर्ष संस्था नगर निगम कहलाती है। सामान्यतः बड़े शहरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है जिससे बिजली, पानी, सड़क, यातायात, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जल निकाय व्यवस्था, नालियां, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण तथा रख रखाव, पार्क, खेल के मैदान आदि निर्माण कार्यों को सुचारू संचालन हो सके। वैश्वीकरण के बाद नगरीय विकास की एक आवश्यक शर्त बन कर उभरा है। लेकिन नगरों के आसमान विकास, महानगरों का असुरक्षित परिवेश और नगरीय संस्कृति में उत्पन्न होते तनाव नगरीय विकास की पुनर्समीक्षा के लिए बाध्य करते हैं। देश के कई राज्यों में बढ़ती नगरीय जनसंख्या की समस्याओं का व्यवस्थित तरीके से प्रबंध करने के लिए कई कदम उठाए गए लेकिन विकास में अगर राजनीति शामिल हो जाता है तो विकास का कोई भी मॉडल सकारात्मक परिणाम देने में सक्षम नहीं हो सकता। नगर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चुनौती बन रहे हैं क्योंकि हरित क्षेत्र को नगर के विकास के लिए समाप्त किया जा रहा है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन ने अनेक नगरों को चुनौती दी है। अगर हमने शहरों को व्यवस्थित और जनसंख्या पर काबू नही किया तो हालात और गम्भीर हो जाएगा। ऐसे में अब सोचने का नही बल्कि करने का समय आ चुका है। नगर निगमों के बावजूद हरित क्षेत्र कट रहे हैं और राजनीति-विकास मॉडल अक्सर विफल होते हैं। यदि हमने शहरी विस्तार नियंत्रित न किया तो जलवायु व संसाधन संकट और तेज होगा। अब सोचने का नहीं करने का वक्त है। नीतिगत संशोधन, सीवेज-उपचार का विस्तार, हरित बफर और जनसंख्या नियंत्रण पर तत्पर कारवाई की जरूरी है।

मानसून, जनभागीदारी और 'हरियाली की विरासत'

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

मानसून की पहली बारिश जब सूखी धरती को भिगोती है, तो वह केवल मौसम का बदलाव नहीं होता, बल्कि प्रकृति का एक संदेश भी होता है। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि धरती, जल, वायु और हरियाली केवल संसाधन नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की धरोहर हैं। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों, नीतियों या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का विषय नहीं है। इसकी वास्तविक शुरुआत तब होती है जब प्रत्येक नागरिक स्वयं को प्रकृति का संरक्षक मानते हुए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है। आज पर्यावरण को लेकर सबसे बड़ी चुनौती संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की कमी है। हम स्वच्छ हवा चाहते हैं, पर्याप्त वर्षा चाहते हैं, हरियाली चाहते हैं, लेकिन यह भी चाहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी कोई और निभाए। सच तो यह है कि जब तक हर व्यक्ति अपने हिस्से का योगदान नहीं देगा, तब तक कोई भी अभियान स्थायी सफलता हासिल नहीं कर सकता।

मानसून का यह समय केवल पौधारोपण का मौसम नहीं, बल्कि संकल्प का मौसम है। यदि प्रत्येक परिवार हर वर्ष कुछ पौधे लगाए और उनके संरक्षण का दायित्व भी निभाए, तो पर्यावरण संरक्षण जनआंदोलन बन सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है। उसकी देखभाल, सुरक्षा और उसे वृक्ष बनने तक संरक्षित रखना कहीं अधिक जरूरी है। अक्सर हम फोटो खिंचवाकर पौधे लगा देते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद वे सूख जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण की असली सफलता पौधारोपण की संख्या में नहीं, बल्कि पौधों के जीवित रहने की दर में छिपी है।

विरासत की अवधारणा

इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमें एक नई अवधारणा पर भी विचार करना चाहिए- हरियाली की विरासत। हम अपने पूर्वजों की स्मृति में पौधे लगाते हैं, यह हमारी सुंदर परंपरा है लेकिन क्यों न हम अपने जीवनकाल में ही अपने नाम से कम से कम पांच पौधे लगाएं, उन्हें संरक्षित करें और उन्हें वृक्ष बनते हुए देखें, इससे बेहतर विरासत शायद ही कोई हो सकती है। जमीन, जायदाद से बड़ी संपत्ति वह छांव होगी जो आने वाली पीढ़ियों को मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत घर के सामने खाली स्थान, कॉलोनी के पार्क, स्कूल परिसर, मंदिरों के आसपास की भूमि या किसी भी उपलब्ध सार्वजनिक स्थान से हो। आवासीय सोसाइटियों और मोहल्ला समितियों को मानसून के दौरान 'ग्रीन ऑडिट' कर तय करना चाहिए कि कितने पौधे लगाए जा सकते हैं और उनकी देखभाल की व्यवस्था कैसे होगी।

अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट

देश के संदर्भ में देखें तो मध्य प्रदेश पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतीय वन सर्वेक्षण (ISFR) की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 77 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र के साथ मध्य प्रदेश देश में वन क्षेत्रफल के मामले में अग्रणी राज्यों में शामिल है। हालांकि दूसरी ओर शहरीकरण, बढ़ते कंक्रीटीकरण और आधारभूत संरचनाओं के विस्तार ने नई चुनौतियां भी पैदा की हैं। विशेषज्ञों के अनुसार शहरों में 'अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट' तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसका समाधान केवल बड़े जंगलों में नहीं, बल्कि शहरों के भीतर हरित क्षेत्रों को विकसित करने में है।

दुनिया के कई देशों ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। जापानी वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित मियावाकी पद्धति कम भूमि पर घने जंगल विकसित करने का प्रभावी मॉडल बन चुकी है। वहीं सिंगापुर, मिलान और अन्य वैश्विक शहर वर्टिकल गार्डन तथा ग्रीन बिल्डिंग की अवधारणा को अपनाकर शहरी हरियाली बढ़ा रहे हैं। भारत के शहरों को भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ऐसे नवाचारों को अपनाना होगा।

पौधारोपण में स्वदेशी को प्राथमिकता

पौधारोपण में स्वदेशी प्रजातियों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। नीम, पीपल, बरगद, करंज, अर्जुन, पलाश और अन्य स्थानीय वृक्ष न केवल कम संसाधनों में विकसित होते हैं, बल्कि जैव विविधता को भी मजबूत करते हैं। ये पक्षियों, मधुमक्खियों और अन्य जीवों के लिए प्राकृतिक आश्रय बनते हैं तथा पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि एक विकसित वृक्ष कई लोगों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सक्षम होता है। इसलिए वृक्षारोपण केवल पर्यावरणीय गतिविधि नहीं, बल्कि जीवन के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। किसी भी शहर या देश की प्रगति केवल ऊंची इमारतों और चौड़ी सड़कों से नहीं, बल्कि उसकी हरियाली, स्वच्छ हवा और प्राकृतिक संतुलन से भी मापी जानी चाहिए।

इंदौर मॉडलः जनभागीदारी से हरियाली की मिसाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "एक पेड़ मां के नाम" अभियान को इंदौर ने जनआंदोलन का स्वरूप दिया है।11 लाख से अधिक पौधे लगाकर शहर ने विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय लगातार यह संदेश दे रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण की असली सफलता पौधे लगाने में नहीं, बल्कि उन्हें वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखने में है। उनके नेतृत्व में अभियान जन-जागरूकता को नई दिशा दे रहे हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव, प्रशासन, सामाजिक संगठनों और नागरिकों की सक्रिय सहभागिता ने यह सिद्ध किया है कि जब समाज और शासन साथ चलते हैं, तो पर्यावरण संरक्षण एक जनआंदोलन बन जाता है। स्वच्छता में देश का नेतृत्व करने वाला इंदौर अब हरियाली में भी नई पहचान बना रहा है। मानसून प्रकृति का उपहार है। आइए, इस उपहार का स्वागत केवल बारिश देखकर नहीं, बल्कि धरती को हराभरा बनाने के संकल्प के साथ करें। आज लगाया गया एक पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी सबसे सुंदर और सबसे मूल्यवान 'हरियाली की विरासत' बन सकता है।

जन-जन के द्वार अभियान बना सुशासन का प्रभावी माध्यमः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार के पाँच वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संचालित सेवा, सुशासन एवं समर्पण तथा जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान के अंतर्गत गुरुवार को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बहुउद्देशीय जनसेवा शिविरों, जनसमस्या निवारण शिविरों एवं जनजागरूकता कार्यक्रमों का व्यापक आयोजन किया गया। इन शिविरों के माध्यम से शासन-प्रशासन ने गांव-गांव पहुंचकर आमजन को विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया तथा प्राप्त जनसमस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की। प्रदेश भर में आयोजित शिविरों में स्वास्थ्य, कृषि, उद्यान, पशुपालन, उद्योग, स्वरोजगार, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, राजस्व, शिक्षा, श्रम, सेवायोजन, आयुष, विद्युत, पेयजल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सहित विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर नागरिकों को योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी तथा पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ प्रदान किया। अनेक स्थानों पर स्वास्थ्य परीक्षण, निःशुल्क दवा वितरण, प्रमाण-पत्र निर्गत करने, पेंशन, रोजगार, कृषि सहायता, महालक्ष्मी किट, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा अन्य जनकल्याणकारी सेवाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया गया।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रदेश भर में आयोजित इन शिविरों के माध्यम से 2,366 से अधिक लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ प्रदान किया गया। शिविरों के दौरान 389 से अधिक शिकायतें एवं आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 257 से अधिक शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष मामलों को संबंधित विभागों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया। इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण, निःशुल्क औषधि वितरण, प्रमाण-पत्र निर्माण, कृषि एवं उद्यान सहायता, स्वरोजगार योजनाओं का लाभ, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का पंजीकरण तथा विभिन्न जनसेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गईं। आयोजित इन शिविरों में सांसदों, विधायकों, राज्य मंत्रियों, आयोगों एवं परिषदों के अध्यक्षों, जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिभाग कर विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और कोई भी पात्र नागरिक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)